श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
जमानत आवेदन सं0– 243/26
थरथरी थाना काण्ड सं0– 39/26

रामबालक प्रसाद.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

22/05/2026 काराधीन अभियुक्त (1) रामबालक प्रसाद पिता स्व0 जगदीश प्रसाद, उम्र 49 वर्ष, सा0 रुपन विगहा, थाना थरथरी, जिला नालन्दा के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार राजीव रंजन द्वारा संचालित किया गया है, जो थरथरी थाना काण्ड सं0– 39/26, अन्तर्गत धारा– 190, 191(2), 126(2), 115(2), 109(1), 303(2) 324(3), 117(2), 352 बी0एन0एस0 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दि0– 06/04/2026 से न्यायिक हिरासत में है।

सूचिका सुमिरक देवी द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 06/03/2026 को समय करीब 07:30 बजे अपने घर पर पूरे परिवार के साथ थी। इसी बीच सूचिका के पूर्व जमीनी विवाद के दुश्मन अपराधियों के साथ एकाएक पति एवं पुत्र की हत्या करने के उद्देश्य से हरबे–हथियार से लैस होकर आया और किबाड़ में धक्का मारने लगा एवं विरोध करने पर जान मारने की नियत से रामबालक प्रसाद, नवीन कुमार, शिव कुमार, रोहित कुमार, कामता प्रसाद, जुदागी प्रसाद, संदीप कुमार, रंजय कुमार, जितेन्द्र प्रसाद, मुक्कु कुमार एवं अन्य लोगों द्वारा जान मारने के नियत से गोली चलाया जा रहा था। सूचिका अपने परिजनों के साथ घर में बंद थी इसी कारण जीवन बचा। गोली चलाने वालों का CCTV फुटेज में हरबे हथियर से लैश फोटो आवेदन के साथ संलग्न है। अभियुक्तगण आपराधिक पहचान के डर से सूचिका के घर में लगा CCTV कैमरा तोड़ दिया। जब कि सूचिका के CCTV में उसका फोटो कैद है। कैमरा तोड़ने के बाद कामता प्रसाद ने दरवाजा बन्द करने के पहले गाली देते हुए सूचिका के हाथ की उंगली तोड़ दिया और मंगलसूत्र, चैन, ढोलना छीन लिया। घटना का कारण सूचिका के मायके, नैहर से सम्पत्ति मिली है इसलिए उसके पिता के पटिदारों द्वारा जानबूझकर जमीन को कब्जा कर निर्माण करना चाह रहे थे। जिसका विरोध करने पर योजना बनाकर षड्यंत्र रचकर सूचिका उसके पति और पुत्रों की हत्या करने के नियत से आकर अपराध की घटना किये हैं।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन नं0– 274/26 दाखिल किया गया था जिसे विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश– III हिलसा के न्यायालय में भेजा गया जहाँ आवेदक को गिरफतार हो जाने के वजह से बिना विचारण के अग्रिम जमानत से आवेदक का नाम कलमजद किया गया है तथा इसके बाद कोई नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में या किसी उच्चतर न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। पूर्व में आवेदक के विरुद्ध थरथरी थाना काण्ड सं0– 121/25 दर्ज है जिसमें आवेदक जमानत पर है तथा इसके अलावा कोई दूसरा आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। वर्तमान मुकदमा में आवेदक पर लगाए गए आरोप सरासर झूठा, मनगढंत, बेबुनियाद है। प्राथमिकी में जैसा कहा गया है वैसी कोई घटना आवेदक द्वारा कारित नहीं किया गया है बल्कि जमीनी विवाद वो पूर्व दुश्मनी को लेकर आवेदक को झूठा फंसाया गया है। मुकदमा में प्रयुक्त धारा– 27 आर्म्स ऐक्ट को छोड़कर अन्य धारायें जमानतीय हैं। सह अभियुक्त जितेन्द्र प्रसाद बगैरह का अग्रिम जमानत

जमानत आवेदन सं0– 243/26
थरथरी थाना काण्ड सं0– 39/26

माननीय ए0डी0जे0– III हिलसा, नालन्दा के न्यायालय से ए0बी0पी0नं0– 274/26 से दिया गया है तथा आवेदक का भी मुकदमा समान प्रकृति का है। आवेदक दिनांक 06/04/2026 से न्यायिक हिरासत में है तथा आवेदक साधन सम्पन्न व्यक्ति है जो न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानतदार दाखिल करने को तैयार है। अतः किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि आवेदक पर अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर पूर्व जमीनी विवाद को लेकर सूचिका के घर पर चढ़कर मारपीट, तोड़फोड़ एवं जान मारने की नियत से फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। मारपीट के क्रम में सूचिका के हाथ की उंगली टूट गई। काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 2, 7 एवं 8 के अवलोकन से विदित है कि इस काण्ड में कुल दस नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिसमें आवेदक का नाम भी उल्लिखित है। काण्ड में आवेदक के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण है तथा आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है। आवेदक के विरुद्ध एक आपराधिक इतिहास थरथरी थाना काण्ड सं0– 121/25 दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक दिनांक 06/04/2026 से लगातार कारागत है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा आवेदक के विरुद्ध अधिरोपित धाराओं तथा आवेदक द्वारा अनुसंधान के क्रम में न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक द्वारा 10,000/– रु0 के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि (1) दो जमानतदारों में से एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होगा तथा दूसरा ग्राम समाज का सम्मानित सदस्य होगा (2) काण्ड के साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी या प्रलोभन नहीं देंगे न ही साक्ष्यों से छेड़–छाड़ करेंगे। (3) आवेदक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल किया जाएगा कि इस काण्ड के लंबित रहने के दौरान सूचिका या उसके परिवार के साथ समान प्रकृति के किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं होंगे। (4) यदि आवेदक का उपरोक्त के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो अवर न्यायालय आवेदक का जमानत रदद करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(लेखापित एव संशोधित)
22/5/26
(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा